स्व.शंकर दयाल सिंह राजभाषा विशिष्ट प्रोत्साहन योजना

1.0 : शीर्षक:

1.1 : इस योजना को 'स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह राजभाषा विशिष्ट प्रोत्साहन योजना' कहा जाएगा।

2.0 : उद्देश्य:

2.1 : इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में निगम के विभिन्न विभागों/परियोजनाओं/कार्यालयों में पदस्थ कार्मिकों को सरकारी काम काज में हिंदी का पत्राचार प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना तथा उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना है।

3.0 : योजना की व्याप्ति:

3.1 : यह योजना एनएचडीसी, निगम मुख्यालय, के विभागों सहित निगम की सभी परियोजनाओं/कार्यालयों पर लागू होगी।

4.0 : अवधि:

4.1 : इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान निगम मुख्यालय के विभागों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का आंकलन किया जाएगा।

5.0 : पात्रता:

5.1 : निगम/परियोजना/कार्यालय के सभी विभाग इस योजना में भाग ले सकते हैं बशर्ते कि समेकित रूप से वर्ष के दौरान संबंधित परियोजना/कार्यालय/विभाग द्वारा न्यूनतम 80 प्रतिशत कार्यालयीन कार्य हिंदी में किया गया हो।

6.0 : योजना का क्रियान्वयन:

6.1 : एनएचडीसी निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागों का उक्त योजना संबंधी क्रियान्वयन निगम मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा और परियोजनाओं/कार्यालयों के मामले में उनका क्रियान्वयन संबंधित परियोजना/कार्यालय द्वारा किया जाएगा ।

7.0 : मूल्यांकन मानदंड :

7.1 : 'स्व.शंकर दयाल सिंह राजभाषा विशिष्ट प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत पुरस्कारों का निर्णय निम्नांकित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

क्र.सं.	मद विवरण	स्पष्टीकरण
01.	मूल रूप से हिंदी में पत्राचार	भारत सरकार द्वारा 'क, 'ख' व 'ग' क्षेत्रों के लिए हिंदी पत्राचार हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुपालन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। पत्राचार का प्रतिशत: 'क' 'ख' व 'ग' क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत हिंदी पत्राचार करने वाले विभाग को योजना में शामिल किया जाएगा । किए गए हिंदी पत्राचार के प्रतिशत के अनुसार बिंदु संख्या 8.2 के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा । प्रेषित रिपोर्टों की जांच संबंधित विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान भेजी गई चारों तिमाही प्रगति रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी तथा उसमें किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर निर्णय प्रभावित हो सकता है ।

8.0 : **पुरस्कार:**

8.1 : इस योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निगम मुख्यालय के विभागों और 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों से हिंदी में किए गए कार्यालयीन कार्य की मात्रा/पत्राचार प्रतिशत के आधार पर अलग अलग नकद पुरस्कार व प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।

8.2 : इस योजना के तहत विभाग(निगम मुख्यालय के मामले में) मूल्यांकन मानदंड में दर्शाए गए आधार पर पुरस्कार पाने के पात्र होंगे। विभाग द्वारा हिंदी में किए गए कार्य के पत्राचार प्रतिशत के आधार पर मूल्यांकन मूल्यांकन उपरांत निम्नानुसार नकद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी:-

क्र.सं.	हिंदी पत्राचार प्रतिशत	पुरस्कार राशि	पुरस्कार श्रेणी
01.	80.00 से 85.00 प्रतिशत	5,000 रुपये का नकद पुरस्कार व प्रमाणपत्र	श्रेष्ठ
02.	85.01 से 90.00 प्रतिशत	6,000 रुपये का नकद पुरस्कार व प्रमाणपत्र	अतिश्रेष्ठ
03	90.01 प्रतिशत से अधिक	7,000 रुपये का नकद पुरस्कार व प्रमाणपत्र	श्रेष्ठतम

उपर्युक्त पुरस्कार मुख्य कार्यपालक निदेशक महोदय के कर-कमलों द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष को टीम प्रतिनिधित्व के रूप में निगम मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक/हिंदी कार्यशाला/अन्य किसी आयोजन में प्रदान किए जाएंगे।

9.0 : **योजना का प्रबंधन:**

9.1 : इस योजना का संचालन वार्षिक आधार पर निगम मुख्यालय,भोपाल हेतु राजभाषा अनुभाग, निगम मुख्यालय द्वारा किया जाएगा तथा परियोजनाओं/कार्यालयों के मामले में उनका कार्यान्वयन संबंधित परियोजना/कार्यालय द्वारा किया जाएगा ।

9.2 : 'स्व.शंकर दयाल सिंह राजभाषा विशिष्ट प्रोत्साहन योजना' में भाग लेने के इच्छुक विभाग(निगम मुख्यालय के मामले में) विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में रिपोर्ट निर्धारित समय पर निगम मुख्यालय, राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराएंगे। उक्त रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के दौरान भेजी गई चारों तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर तैयार की जानी अपेक्षित है ताकि आवश्यकता पड़ने पर दी गई सूचना का सत्यापन किया जा सके।

9.3 : उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों के संबंध में पुरस्कार का निर्णय करने के लिए मुख्य कार्यपालक निदेशक के अनुमोदन से एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में राजभाषा अनुभाग के प्रभारी अधिकारी तथा मानव संसाधन, वित्त विभाग एवं किसी तकनीकी विभाग से एक-एक अधिकारी शामिल होंगे। समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक/मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी होंगे तथा इसके सदस्य कम से कम वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के होंगे, तथापि अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर निर्णायक मण्डल के गठन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। पुरस्कार के संबंध में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा व पुरस्कार राशि का भुगतान राजभाषा/ मा.संसा. विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किया जाएगा।

9.4 : विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का रिकार्ड संलग्न मूल्यांकन प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पत्र में दिए गए समयानुसार वर्ष के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का रिकार्ड निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से राजभाषा अनुभाग, निगम मुख्यालय को भेजा जाएगा जहॉ मूल्यांकन समिति द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा।

9.5 : यदि मूल्यांकन समिति चाहे तो 'स्व.शंकर दयाल सिंह राजभाषा विशिष्ट प्रोत्साहन योजना' के संबंध में निर्णय लेने के लिए संबंधित विभाग में जाकर कार्य के रिकार्ड का वास्तविक निरीक्षण कर सकती है अथवा भेजे गए आंकड़ों की जांच के लिए विभाग से रिकार्ड मंगवा सकती है।

10 : **सामान्य:**

10.1 : निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए मुख्य कार्यपालक निदेशक के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन/आशोधन कर सकता है या पूरी योजना को अथवा योजना के किसी अंश को समाप्त कर सकता है।

----------xxx----------

स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह राजभाषा विशिष्ट प्रोत्साहन योजना मूल्यांकन प्रपत्र

(वर्ष 20..... - .....)

परियोजना/कार्यालय: .....

विभाग का नाम: .....

क्र.सं.	तिमाही	क्षेत्र	कुल पत्राचार	हिंदी पत्राचार	अंग्रेजी पत्राचार	हिंदी पत्राचार का प्रतिशत	पुरस्कार श्रेणी (मूल्यांकक द्वारा भरा जाए)
1(क)	अप्रैल-जून (30 जून..... को समाप्त)	क					
		ख					
		ग					
1(ख)	जुलाई-सितंबर (30 सितंबर..... को समाप्त)	क					
		ख					
		ग					
1(ग)	अक्टूबर-दिसम्बर (31 दिसंबर..... को समाप्त)	क					
		ख					
		ग					
1(घ)	जनवरी-मार्च (31 मार्च..... को समाप्त)	क					
		ख					
		ग					
2	क,ख तथा ग क्षेत्र को मिलाकर वर्ष भर का कुल पत्राचार						

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

दिनांक: